कलेक्टर व पुलिस अधीक्षक ने ली लॉ एण्ड आर्डर को लेकर समीक्षा बैठक

- सड़क किनारे अवैध पार्किंग पर करें लगातार कार्यवाही
- विस्फोटक भंडारण व परिवहन की करें नियमित रूप से जांच
- मादक पदार्थों के विरुद्ध लगातार कार्यवाही के दिए निर्देश

रायगढ़

कलेक्टर कार्तिकेया गोयल ने पुलिस अधीक्षक दिव्यांग पटेल के साथ जिले में लॉ-ऑर्डर को लेकर अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली। कलेक्टर गोयल ने कहा कि जिले में शान्ति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए राजस्व एवं पुलिस विभाग को संयुक्त प्रयास करते हुए आपसी सामंजस्य के साथ कार्य करना होगा। उन्होंने कहा कि लोक शांति भंग करने वाली गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखें तथा आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें। अपने सूचना तंत्र को मजबूत करें, ताकि किसी भी घटना की सूचना आप तक पूर्व में पहुंच जाएं, जिससे समय पर कार्यवाही हो। उन्होंने कहा कि क्षेत्रीय एवं सामाजिक समस्याओं के निराकरण के लिए कानूनी अधिकारों का प्रयोग करते हुए नियमानुसार कार्यवाही करें। उन्होंने सभी अधिकारियों को सजगता एवं सतर्कता के साथ कार्य करने के निर्देश दिए।

कलेक्टर गोयल ने अवैध शराब और मादक पदार्थों की तस्करी, नशीली दवाओं की अवैध बिक्री पर लगातार कड़ी कार्यवाही करने के लिए कहा। समीक्षा के दौरान उन्होंने अब तक की गई कार्यवाही का अपडेट लिया। उन्होंने कहा कि एनडीपीएस एक्ट के तहत नारकोटिक्स और ड्रग्स के विरुद्ध जांच और कार्यवाही होनी चाहिए। उन्होंने पुलिस विभाग के साथ फील्ड में संयुक्त रूप से कार्यवाही करने के लिए निर्देशित किया। कलेक्टर गोयल ने जिले में बाहर से आये श्रमिकों एवं किरायेदारों का सत्यापन के संबंध में जानकारी ली। उन्होंने बाहर से आए सभी मजदूरों का रूटिन वेरीफिकेशन कराने एवं उनका डाक्यूमेंट जमा कराये जाने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने ठेले व गुमटी लगाकर काम करने वालों का भी वेरीफिकेशन कराये जाने के निर्देश दिए। कलेक्टर गोयल ने अवैध प्लाटिंग व अवैध उत्खनन में संलिप्तता वाले लोगों को चिन्हित करते हुए नियमित कार्यवाही करने के निर्देश दिए। कलेक्टर गोयल ने सभी अस्पतालों के फायर ऑडिट की जांच करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही रायगढ़ जिले की ऊंची बिल्डिंग्स की सूची तैयार कर उनके भी फायर ऑडिट की जांच के निर्देश दिया गया। कलेक्टर गोयल ने नेशनल हाईवे में ब्लाइंड स्पॉट्स के आस पास एहतियाती कदम उठाने के निर्देश दिए। कलेक्टर गोयल ने राजमार्ग, राज्यमार्ग एवं प्रमुख सड़कों के किनारे की जा रही भारी वाहनों की पार्किंग पर लगातार कार्यवाही जारी रखने के निर्देश दिए।

बैठक में पुलिस अधीक्षक दिव्यांग पटेल ने कहा कि कानून व्यवस्था को प्रभावित करने वाली असामाजिक गतिविधियों पर विशेष ध्यान रखें एवं ऐसे व्यक्तियों की पहचान कर जानकारी एकत्र करें। कही भी कोई घटना घटित होती है तो उसकी सूचना शीघ्र पुलिस को दें, जिससे कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग हो सके ताकि आम जनता पर प्रशासन के प्रति भरोसा रहे। लोगों के प्रति संवेदनशील रहे एवं गंभीरतापूर्वक ढंग से अपने दायित्व का निर्वहन करें। बैठक में कानून व्यवस्था बनाए रखने के संबंध में अन्य विषयों पर भी विस्तारपूर्वक चर्चा की गई तथा आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। बैठक में सभी एसडीएम, तहसीलदार सहित पुलिस व अन्य विभागों के अधिकारी शामिल हुए।

विस्फोटक भंडारण व परिवहन की नियमित रूप से जांच के निर्देश

कलेक्टर गोयल ने जिले में विस्फोटक के भंडारण और परिवहन की जांच के संबंध में जानकारी ली। उन्होंने कहा कि विस्फोटकों के जांच की पूरी व्यवस्था होनी चाहिए। उन्होंने इसके लिए जारी लाइसेंस की शर्तों के पालन के लिए लाइसेंसधारियों को पत्र लिखने के निर्देश दिए। विस्फोटक के भंडारण और परिवहन की सूचना उस क्षेत्र के एसडीएम और पुलिस थाना में दिए जाने के निर्देश दिए। कानून व्यवस्था की दृष्टि से यह अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। पुलिस अधीक्षक दिव्यांग पटेल ने इसके लिए पुलिस, संबंधित विभाग, खदान प्रबंधन और विस्फोटक के भंडार और परिवहनकर्ताओं की एक संयुक्त सेमिनार बुलाकर लोगों को विस्फोटक को लेकर रखी जाने वाली सावधानियां और इस संबंध में कानूनी प्रावधान की जानकारी देने के निर्देश दिए।

सामूहिक एवं संगठित कार्यक्रम के लिए लेना होगा अनुमति

कलेक्टर कार्तिकेया गोयल ने सांप्रदायिकता एवं धर्मान्तरण विवाद के संबंध में चर्चा करते हुए कहा कि कही पर भी किसी प्रकार की सामूहिक अथवा संगठित कार्यक्रम के लिए नियमानुसार संबंधित क्षेत्र के एसडीएम से परमिशन लेना जरूरी है। उन्होंने खासतौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में इस पर विशेष फोकस करने के निर्देश दिए। ताकि किसी प्रकार की विवाद की स्थिति निर्मित न हो। उन्होंने संवेदनशील इलाकों को चिन्हांकित कर वहां मजबूत सूचना तंत्र तैयार करने के निर्देश दिए।

'साईबर सुबह' के माध्यम से लोगों को किया जा रहा जागरूक

कलेक्टर कार्तिकेया गोयल ने पुलिस विभाग द्वारा लोगों को जागरूक करने हेतु चलाए जा रहे साईबर सुबह की सराहना की। उन्होंने इसे नियमित रूप से जारी रखने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि साईबर सुबह के मैसेज को अपने व्हाट्सअप ग्रुप के साथ ही अपने आसपास के लोगों को ज्यादा से ज्यादा फारवर्ड करें ताकि आप स्वयं जागरूक रहे और लोगों को भी जागरूक करते रहें। बैठक में उपस्थित साईबर सेल डीएसपी अभिनव उपाध्याय ने बताया कि पुलिस विभाग द्वारा साईबर फ्रॉड से बचने के लिए साईबर सुबह व्हाट्सअप मैसेज के माध्यम एक मुहिम चलायी जा रही है। जिसमें प्रतिदिन सुबह-सुबह साईबर फ्रॉड से बचने संबंधी उपाए बताए जा रहे है।

महत्वपूर्ण एवं खास

छत्तीसगढ़ में अब तक हुई 5.37 मीट्रिक टन धान खरीदी

रायपुर (आरएनएस)। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के मार्गदर्शन में अनवरत धान खरीदी का सिलसिला जारी है। 14 नवम्बर से शुरू हुए धान खरीदी अभियान में अब तक 5.37 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी हो चुकी है। राज्य में अब तक 1.16 लाख से अधिक किसानों ने अपना धान बेचा है। धान खरीदी के एवज में किसानों को बैंक लिकिंग व्यवस्था के तहत 971 करोड़ 16 लाख रूपए का भुगतान किया गया है। धान खरीदी का यह अभियान 31 जनवरी 2025 तक चलेगी। खाद्य विभाग के अधिकारियों ने आज यहां बताया कि इस खरीफ वर्ष के लिए 27.68 लाख किसानों द्वारा पंजीयन कराया गया है। इसमें 1.45 लाख नए किसान शामिल है। इस वर्ष 2739 उपार्जन केन्द्रों के माध्यम से 160 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी अनुमानित है। अधिकारियों ने बताया कि आज 21 नवम्बर को 26501 किसानों से 1.18 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी हुई है। इसके लिए 30828 टोकन जारी किए गए थे। आगामी दिवस के लिए 25840 टोकन जारी किए गए है।

अधिमान्यता परिचय पत्र नवीनीकरण प्रारंभ

रायगढ़। जनसंपर्क संचालनालय द्वारा अधिमान्य मीडिया प्रतिनिधियों के अधिमान्यता परिचय पत्र नवीनीकरण का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। अधिमान्यता नवीनीकरण हेतु 15 दिसम्बर 2024 तक ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किये जायेंगे। अधिमान्यता नवीनीकरण हेतु जनसंपर्क संचालनालय की वेबसाइट www.dprcg.gov.in एवं https://jansampark.cg.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी अपने नवीनतम पासपोर्ट फोटो के साथ संबंधित जिला जनसंपर्क कार्यालय में जमा करना होगा। अधिमान्य पत्रकार अधिमान्यता परिचय पत्र की वैधता अवधि जारी परिचय पत्र के पीछे अंकित वैधता तिथि से ज्ञात कर सकते हैं।

मुठभेड़ में 10 नक्सलियों को सुरक्षाबलों ने किया ढेर

सुकमा-रायपुर (आरएनएस)। जिले में आज सुबह सुरक्षाबलों ने एक बड़ी कार्रवाई में 10 नक्सलियों को मार गिराया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सुरक्षाबलों की इस उपलब्धि पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि उनकी सरकार नक्सलवाद के प्रति ज़ीरो टॉलरेंस की नीति पर कार्य कर रही है। उन्होंने यह भी कहा कि बस्तर में विकास, शांति और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना उनकी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। बस्तर में शांति , विकास और प्रगति का दौर लौट आया है। उन्होंने सुरक्षा बलों को उनके अदम्य साहस और समर्पण के लिए बधाई देते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ से नक्सलियों का सफाया निश्चित है। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा मार्च 2026 तक छत्तीसगढ़ से नक्सलियों के सफ़ाये के लक्ष्य की पूर्ति की दिशा में हम सुनियोजित तरीक़े से आगे बढ़ रहे हैं।

जिला एवं तहसील न्यायालयों में 14 दिसंबर को नेशनल लोक अदालत

रायगढ़

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली के दिशा-निर्देशन पर 14 दिसंबर 2024 को सभी मामलों पर नेशनल लोक अदालत का आयोजन वर्चुअल एवं फिजिकल माध्यम से जिला मुख्यालय रायगढ़ सहित तहसील न्यायालय सारंगढ़, घरघोड़ा, धरमजयगढ़, खरसिया, बिलाईगढ़ एवं भटगांव में किया जा रहा है। जिसमें न्यायालयों में लम्बित राजीनामा योग्य आपराधिक मामले, श्रम सम्बन्धी मामले, चेक बाउन्स के मामले, पारिवारिक विवाद, मोटर दुर्घटना दावा एवं व्यवहार प्रकृति के मामलों के अलावा पानी एवं विद्युत बकाया तथा बैंक रिकव्हरी के प्रीलिटिगेशन वाद राजीनामा हेतु रखे जायेंगे।

छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर के द्वारा धारा 188 भा.द.सं. एवं कोविड-19 के परिप्रेक्ष्य में आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 एवं अन्य छोटे अपराधों के मामलों जिसमें यातायात उल्लंघन के मामलों को भी शामिल करते हुए उक्त तिथि को विशेष मजिस्ट्रेट के न्यायालयों द्वारा निराकृत किये जाने का निर्णय लिया गया है तथा इस लोक अदालत को हाइब्रिड लोक अदालत के रूप में आयोजित किया जा रहा है। अधिकाधिक संख्या में लोग लाभान्वित हों, इस हेतु जिला प्राधिकरण स्तर पर, पैरालीगल वालिंटियर्स के माध्यम से नोटिस तामीली के दौरान एवं चौक-चौराहे एवं हाट-बाजार लोक अदालत के फायदे एवं राजीनामा के माध्यम से मामलों के निपटारे के बारे में प्रचार-प्रसार किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त ग्राहकों के मोबाईल नम्बर पर एसएमएस भेजकर सूचना दी जा रही है। साथ ही आकाशवाणी में भी जनसूचना प्रसारित किये जाने की कार्यवाही की गई है। जनपद पंचायत एवं नगर निगम के सहयोग से भी इसका व्यापक व्यापक प्रचार-प्रसार कराया जा रहा है। जिला एवं तहसील न्यायालय परिसर में, नेशनल लोक अदालत में आने वाले मामलों के पक्षकारों को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, रायगढ़ के सहयोग से नि:शुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन कर, स्वास्थ्य परीक्षण व्यवस्था की जाएगी।

पीएम आवास-ग्रामीण : जिले में 32 हजार आवास निर्माण का वृहत अभियान शुरू, 3 माह में पूर्णता का है लक्ष्य

- जिला से लेकर जनपद स्तर तक प्रतिदिन अधिकारी कर रहे फील्ड विजिट
- कलेक्टर कार्तिकेया गोयल एवं सीईओ जिला पंचायत जितेन्द्र यादव प्रगति की कर रहे नियमित समीक्षा

रायगढ़

रायगढ़ जिले में 32 हजार आवास निर्माण के लिए स्वीकृति मिली है। इसके लिए पहली किश्त हितग्राहियों को जारी कर दी गई है। आवास निर्माण शुरू करने और तय समय के भीतर काम पूरा करने कलेक्टर कार्तिकेया गोयल के निर्देश और सीईओ जिला पंचायत जितेन्द्र यादव के मार्गदर्शन में पूरे जिले में व्यापक अभियान की शुरुआत की गई है।

इस अभियान का उद्देश्य ऐसे सभी हितग्राही जिन्हें आवास निर्माण की स्वीकृति मिली है और पहली राशि प्राप्त हुई है उनके घर के निर्माण कार्य को शुरू कराना, यदि कोई समस्या आ रही है तो उसे दूर करना जिससे आवास निर्माण बिना किसी परेशानी के निर्धारित समयावधि में पूरा किया जा सके।

उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में रायगढ़ जिले को 45091 का लक्ष्य प्राप्त हुआ है जो कि छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक लक्ष्य वाले जिलों में 05 वें स्थान पर है। इतने वृहद लक्ष्य को समय-सीमा में पूर्ण करने हेतु कलेक्टर कार्तिकेया गोयल एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत जितेन्द्र यादव के द्वारा कार्ययोजना तैयार कर कार्यवाही प्रारंभ कर दी गई है।

जिला पंचायत एवं जनपद पंचायत स्तर के अधिकारी/कर्मचारियों के साथ-साथ सभी अनुविभागीय अधिकारी (ग्रामीण यांत्रिकी सेवा) एवं उपअभियंता को भी प्रतिदिन फील्ड विजिट करने हेतु निर्देशित किया गया है एवं उनसे प्रतिदिन आवासों की प्रगति की समीक्षा की जा रही है।

जिला रायगढ़ में वर्ष 2024-25 में 36031 हितग्राहियों को आवास की स्वीकृति कर दी गई है जिसमें से 32027 हितग्राहियों को प्रथम किश्त एवं 3288 हितग्राहियों को द्वितीय किश्त की राशि जारी कर दी गई है। विगत 15 दिवसों में लगभग 2 हजार अप्रारंभ आवासों को प्रारंभ कर द्वितीय किश्त की राशि प्रदाय किया गया है। वित्तीय वर्ष 2016-17 से 2023-24 के तक के लंबित आवासों को दिसम्बर 2024 तक पूर्ण करने एवं वित्तीय वर्ष 2024-25 के समस्त आवासों को अगामी 03 माह में पूरा करने हेतु जिला प्रशासन द्वारा कार्ययोजना तैयार की गई है एवं उसी रूप रेखा में आगे बढ़ रही है।

अभिलेख शुद्धता के कार्य में लाए तेजी- कलेक्टर कार्तिकेया गोयल

- नामांतरण एवं सीमांकन के प्रकरणों का समय-सीमा में करें निराकरण
- आरबीसी 6-4 के लंबित प्रकरणों की ली जानकारी
- कलेक्टर गोयल ने ली राजस्व अधिकारियों की समीक्षा बैठक

रायगढ़

कलेक्टर कार्तिकेया गोयल ने कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में राजस्व अधिकारियों की बैठक ली। कलेक्टर गोयल ने निजी खातेदार, सह खातेदार एवं आधार प्रविष्टि के संबंध में तहसीलदारवार समीक्षा की। उन्होंने राजस्व अभिलेख में आधार सीडिंग, मोबाइल नंबर, किसान किताब, जेंडर प्रविष्टि के कार्यों को प्राथमिकता से करने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया कि अभिलेख शुद्धता के कार्य में तेजी लाए।

कलेक्टर गोयल ने अविवादित, विवादित नामांतरण, बटवारा, सीमांकन, भू-अर्जन जैसे विभिन्न प्रकरणों की समीक्षा करते हुए राजस्व अधिकारियों को सभी राजस्व प्रकरणों का समय-सीमा में निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने अविवादित और विवादित नामांतरण के मामले तेजी से निराकृत करने के निर्देश दिए। कलेक्टर गोयल ने अविवादित नामांतरण के निराकरण के समय-सीमा को ध्यान में रखते हुए निराकृत करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राजस्व अधिकारी सुनिश्चित करें कि सभी मामले ऑनलाइन दर्ज हों और उनके लिए निर्धारित समय-सीमा का पालन करें। इस दौरान उन्होंने लंबित राजस्व प्रकरणों की विस्तृत समीक्षा की।

कलेक्टर गोयल ने तहसीलवार नक्शा बटांकन के कार्य में प्रगति लाने के निर्देश दिए। उन्होंने भू-अर्जन के प्रकरणों की संख्यात्मक जानकारी लेते हुए अवार्ड पारित होने के पश्चात रिकॉर्ड दुरुस्ती के कार्य को प्राथमिकता से करने के निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने नजूल पट्टों के नवीनीकरण की भी जानकारी ली। उन्होंने वसूली पत्रक अंतर्गत भू-राजस्व कर, पंचायत उपकर, शाला भवन उपकर, नजूल भूमि से प्राप्त भू-भटक तथा आरआरसी की समीक्षा की। उन्होंने आरआरसी वसूली के संबंध में कार्ययोजना की जानकारी लेते हुए प्रगति लाने के निर्देश दिए। उन्होंने नक्शा प्राप्त ग्रामों की जानकारी लेते हुए 15 दिवस में कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए। कलेक्टर गोयल ने आरबीसी 6-4 एवं हिट एंड रन के लंबित प्रकरणों की जानकारी लेते हुए सभी प्रकरणों में पूर्ण जानकारी के साथ विधिवत प्रक्रिया का पालन करते हुए निराकृत करने के निर्देश दिए।

कलेक्टर गोयल ने जाति प्रमाण पत्र के संबंध में सभी सभी एसडीएम को बीईओ से समन्वय कर जाति प्रमाण बनाने में तेजी लाने के निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने पीडीएस दुकानों से लोगों को नियमित रूप से राशन प्राप्त हो सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इस अवसर पर एडीएम संतन देवी जांगडे, एसडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार एवं राजस्व विभाग के अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे।

शराब तस्करी में लिप्त आरोपी से 40 पाव अंग्रेजी शराब और बाइक जब्त

- एक अन्य कार्यवाई में फरार आरोपी को कोतरा रोड पुलिस ने दबोचा

रायगढ़

एसपी दिव्यांग कुमार पटेल के निर्देशन पर कोतरारोड़ पुलिस ने अवैध शराब के कारोबार पर शिकंजा कसते हुए दो अलग-अलग मामलों में सफलता हासिल की है। थाना प्रभारी त्रिनाथ त्रिपाठी के नेतृत्व में हुई कार्रवाई में पुलिस ने शराब तस्करी और अवैध शराब उत्पादन के आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा है।

पहली कार्रवाई में कोसमनारा बायपास रोड के ओवरब्रिज के नीचे नाकेबंदी कर ध्रुव कुमार सारथी (39), निवासी गोरा, को गिरफ्तार किया गया। आरोपी हीरो होंडा स्प्लेंडर मोटरसाइकिल (सीजी 13 6210) पर अवैध शराब की तस्करी कर रहा था। पुलिस ने उसके कब्जे से कुल 7.2 लीटर अंग्रेजी शराब (गोल्डन गोवा, सिंडिकेट व्हिस्की, जिप्सी सुपर, जम्मू स्पेशल) और तस्करी में प्रयुक्त मोटरसाइकिल जब्त की। आरोपी के खिलाफ आबकारी अधिनियम की धारा 34(2), 59(क) के तहत मामला दर्ज कर उसे न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया।

दूसरी कार्रवाई में ग्राम धनागर में फरार आरोपी मनोज सारथी (32), पिता गणेश राम सारथी को गिरफ्तार किया गया। यह आरोपी 11 नवंबर 2024 को ग्राम धनागर में हुई शराब रेड के दौरान पुलिस की घेराबंदी से फरार हो गया था। उस दिन आरोपी के घर से 15 लीटर महुआ शराब जब्त की गई थी। आरोपी पर पहले से आबकारी अधिनियम की धारा 34(2), 59(क) के तहत मामला दर्ज था। आज कोतरारोड़ पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जेल भेजा।

औद्योगिक इकाइयों को वेब पोर्टल पर वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण विवरणियां भरने एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित

- राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के उपमहानिदेशक अल्ताफ हुसैन हाजी ने सर्वेक्षण के उपयोगिता की दी जानकारी

रायगढ़

औद्योगिक इकाइयों को वेब पोर्टल पर वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण की विवरणियां स्वयं भरने के प्रति संवेदनशीलता जागृत करने हेतु राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के उपमहानिदेशक अल्ताफ हुसैन हाजी की अध्यक्षता में आज जिला पंचायत कार्यालय, रायगढ़ के सभाकक्ष में एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (क्षेत्र संकार्य प्रभाग), सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रति वर्ष एक वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण संचालित किया जाता है। इसके अंतर्गत चयनित औद्योगिक इकाईयों द्वारा निर्धारित विवरणी भरकर राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय को प्रस्तुत की जाती है। कार्यशाला में विशिष्ट अतिथि के रूप में सिल्वेस्टर कुजूर जिला योजना एवं सांख्यिकी अधिकारी एवं कमल अग्रवाल, अध्यक्ष, रायगढ़ स्पंज आयरन मैनुफक्चरर एसोसिएशन उपस्थित रहे।

उपमहानिदेशक राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, रायपुर अल्ताफ हुसैन हाजी ने इस सर्वेक्षण की उपयोगिता पर प्रकाश डालते हुए कहा कि सांख्यिकी संग्रहण अधिनियम 2008 एवं उसके अंतर्गत बनाए गए नियम 2011 के अनुसार राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा प्रति वर्ष वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण संचालित किया जाता है। इसके अंतर्गत औद्योगिक इकाइयों से संदर्भ अवधि के दौरान पूंजी, टर्न ओवर, मूल्यवर्धन, ईंधन व कच्चा माल तथा इनपुट-आउटपुट आदि से संबंधित महत्वपूर्ण आंकड़े संग्रहित किए जाते हैं। इसके अलावा रोजगार कार्य दिवसों की संख्या एवं सामाजिक सुरक्षा लाभ संबंधी आंकड़े भी एकत्रित किए जाते हैं। प्राप्त आंकड़ों का उपयोग राष्ट्रीय आय के अनुमान एवं सकल घरेलू उत्पाद के आकलन और विभिन्न प्रकार के नीति नियोजन हेतु किया जाता है। उपमहानिदेशक अल्ताफ हुसैन हाजी ने उपस्थित औद्योगिक इकाईयों के प्रतिनिधियों से समस्त जानकारी विवरणों में स्वत: भरकर वेब पोर्टल पर प्रस्तुत करने के लिए आव्हान किया। उन्होंने उपस्थित उद्यमियों से अनुरोध किया कि वे सही आंकड़े प्रदान करने हेतु राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के अधिकारियों से आवश्यक सहायता प्रदान कर सकते हैं।

कार्यशाला में वरिष्ठ सांख्यिकी अधिकारी आर.के.श्रीवास्तव ने उपस्थित सभी औद्योगिक संगठनों के प्रतिनिधियों एवं अधिकारियों के प्रति आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम के द्वितीय सत्र में वरिष्ठ सांख्यिकी अधिकारीगण सर्व ओ.पी. साहू, आर.एन.सोनी, रंजीत पाल, संतोष राणा, अनूप बा, धनंजय कुमार, अजीत कुमार, आनंद सागर मिंज ने औद्योगिक संगठनों के प्रतिनिधियों को वेब पोर्टल पर स्वत: विवरणी भरने का प्रशिक्षण दिया। कार्यशाला में प्रदेश के विभिन्न औद्योगिक इकाईयों में जिंदल स्टील एण्ड पावर, नलवा स्टील एण्ड पावर, अंजनी स्टील, मरकाई अलोय उद्योग, एन डी एफ पी एल, एस.के.नमकीन, ओरियन फेरो एलोय, बिमल रिफ्रक्टरी, एम एस पी स्टील, रायगढ़ स्टील एंड पावर, सन स्टील एंड पावर, इंड सिनर्जी, जिंदल ऑटो, सुनील इस्पात, एनआर ग्रुप, जगदम्बा स्ट्रक्चर, कृष्णा सॉलवेंट, तिरूमला बालाजी, गोयल मोटो कॉप आदि के प्रतिनिधियों शामिल हुए।

स्वामी, मुद्रक प्रकाशक तथा संपादक सी.बी.वर्मा द्वारा न्यायसाक्षी प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 327, वार्ड नं. 24, श्रीराम कॉलोनी स्टेडियम के पीछे रायगढ़ से मुद्रित एवं प्रकाशित फोन 07762-२21359 पी.आर.बी. अधिनियम के तहत् खबरों के चयन के लिए जिम्मेदार ई-मेल - nyaysakshi@gmail.com- www.nyaysakshi.com, RNI NO :- CHHHIN/2018/76480